सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गाधी रोड पण्डितदीन दयाल पार्क स्थित जलपान ग्रह हेतु 02 वर्ष की अवधि दिनाक 1.11.2021 से 31.10.2023 तक सचालित किये जाने हेतु सार्वजनिक निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनाक 12-10-21 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

कैन्टीन (जलपान ग्रह) स्थल का विवरण	निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि (जी0एस0टी0 एवं अन्य कर अतिरिक्त)
पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पार्क गाधी रोड	रू0-6,61,297/-

निविदा के साथ निविदा सूचना प्रपत्र मे अंकित 3 प्रतिशत धनराशि रू0-19839/-की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 हेतु सम्बन्धित बैंक का डिक्लेयरेशन पत्र संलग्न करनी अनिवार्य होगी। जो नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के नाम प्लेज होगी। निविदायें सीलबन्द लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्वय के द्वारा उपलब्ध करायी जानी होगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओ पर विचार नही किया जायेगा। तकनीकी निविदायें दिनाक 12-10-21 को साय 04 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, तथा तकनीकी निविदा मे सफल व्यक्तियो/फर्मो की वित्तीय निविदा अग्रिम तिथि मे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एव शर्ते विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्यदिवस मे निर्धारित शुल्क जमा कर नगर निगम कार्यालय से दिनाक 11-10-21 की साय 05 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण नगर निगम की वेबसाईट **www.naggarnigamdehradun.com** पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः-413/भूमि-2021, दिनांकः- 18/09/2021

प्रतिलिपिः-

1. सम्पादक "राष्ट्रीय सहारा (3001212905)" को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. सम्पदाक "द पायनियर (3001212905)" अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चस्पा हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का० 0135-2714074 फैक्स 0135-2651060 ई मेल nagarnigam.ddn@gmail.com)

गांधी रोड स्थित पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पार्क स्थित जलपान/कैन्टीन हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा दाता का नाम :- ....
2. निविदादाता का पता :- ....
   ....
3. निविदादाता की फर्म/एजेन्सी का नाम :- ....
4. जमानत धनराशि :- रू0 ....(शब्दों में) ....
5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :- ....
6. बैंक का नाम :- ....
7. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली निविदा राशि अंकों में :- रू0 ....
   (शब्दों में) ....

निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :-..

निविदादाता का नाम :-..

निविदादाता का पूरा पता :- ....

<u>निविदा की शर्ते एवं प्राविधान</u>

1. स्वीकृति दिनांक 01 नवम्बर 2021 से दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक के लिये मान्य होगी।
2. निविदादाता अपनी निविदा दिनांक 12-10-21 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द लिफॉफे में सीलकर भूमि अनुभाग में उपलब्ध करा सकते है। तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग-अलग लिफाफे में डालकर एक बड़े लिफॉफे में उपलब्ध करायेंगे। तकनीकी निविदायें दिनांक 12-10-21 को गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की तकनीकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात ही वित्तीय निविदा गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी।
3. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित निविदा धनराशि रू0-6,61,297/- निर्धारित है।
4. निविदादाता द्वारा दी गयी उच्चतम् निविदा पर जी0एस0टी0 एवं अन्य कर अतिरिक्त होंगे।
5. निविदादाता को निर्धारित न्यूनतम् धनराशि रू0-6,61,297 की 3 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0-19839/- की धनराशि की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 निविदा स्वीकृत होने के पश्चात नगर निगम देहरादून के नाम बंधक रखनी अनिवार्य होगी।
6. धरोहर/जमा धनराशि नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको में लिखे जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।
8. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय पिछले तीन वर्ष की आई0टी0आर0, पैनकार्ड, जी0एस0टी0 नं0 रू0-5 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फूड लाईसेन्स की सत्यापित प्रति, *Fssai* लाईसेन्स, दो स्वंय सत्यापित पासपोर्ट फोटो, स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पुराना न हो आदि को निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

9. निविदादाता को अपने स्तर से कैन्टीन की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य कराना पड़ेगा। उक्त हेतु नगर निगम से कोई धनराशि देय नही होगी।

10. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे। निविदादाता को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग में डिफाल्टर न होने का रू0–10 का शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. निविदादाता अपनी निविदा निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड डाक अथवा निगम कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर भी उपलब्ध करा सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

12. निविदादाता को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।

13. निविदादाता द्वारा धरोहर के रूप में जमा धनराशि को निविदा का समय पूर्ण होने अर्थात 2 वर्ष के पश्चात वापस किया जायेगा।

14. निविदादाता का ठेका स्वीकृत होने पर वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित धनराशि एक सप्ताह के अन्दर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। किसी भी प्रकार की शिथिलता दिये जाने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून निहित होगा।

15. निविदादाता द्वारा जलपान ग्रह के अन्दर किसी असमाजिक तत्वों का प्रवेश नही करायेगा तथा किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार एवं शासन द्वारा प्रतिबन्धित कारोबार नही करेगा।

16. निविदादाता द्वारा जलपान ग्रह के अन्दर किसी भी प्रकार का प्रदूषण एवं जनता से अभद्र व्यवहार नही किया जायेगा।

17. निविदादाता द्वारा जलपान ग्रह में नशीले पदार्थ जैसे शराब, बीड़ी सिगरेट आदि का प्रयोग नही करेगा। यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो बिना किसी नोटिस के निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

18. निविदादाता द्वारा समय–समय पर नगर निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण करने में पूर्ण सहयोग देगा।

19. निविदादाता द्वारा समस्त खाद्य पदार्थो की निर्धारित मूल्य सूची को सूचना पट्ट पर अंकित करना अनिवार्य होगा।

20. निविदादाता अशुद्ध एवं निष्प्रयोज्य खाद्य पदार्थो का प्रयोग नही करेगा।

21. निविदादाता *Fssai* द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करेगा।

22. निविदाता *Fso* द्वारा निर्गत पंजीकरण/लाईसेन्स प्राप्त कर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23. निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक /थर्माकोल इत्यादि से बने किसी पैकेजिंग सामाग्री का प्रयोग पैकेजिंग हेतु नही करेगा।

24. उपरोक्त समस्त शर्तो में से किसी एक का भी उल्लंघन पाये जाने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी।

कर एवं राजस्व अधीक्षक, भूमि
नगर निगम, देहरादून।